

राष्ट्रीय जनमत पार्टी

दिल्ली-भारत



भगवान गौतम बुद्ध
(ब्रम्हालीन)

संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष :
आर.एन. प्रियदर्शी 'सुमन'

एडवोकेट

इलाहाबाद हाईकोर्ट/सुप्रीमकोर्ट

एम.ए. (इतिहास, दर्शन, हिन्दी) पत्रकार
साहित्यकार, आई.सी.पी.एस., एल.एल.एम.
मोबाइल नं० 9839433889



ग्राम - फर्रुखाबाद
मुख्य कार्यालय - जे. ए. सुधान गंज
जिला - इलाहाबाद
पत्रांक - 417
दिनांक - 27-12-2014

सेवा में,

मान. संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी
चतुर्थ तल विकास भवन, जनपथ मार्केट
लखनऊ- 226001

विषय :- (i) राजनैतिक दलों की पारदर्शिता से संबंधित
(ii) Election Expenditure

संदर्भ :- (i) पत्र सं. 2703/सी.ई.ओ-2-10/2-2013
दि. 11-दिसम्बर 2014.
(ii) पत्र सं. 2705/सी.ई.ओ-2-10/2-2013
दिनांक 11-दिसम्बर 2014

महोदय,

सविनय पूर्वक उपरोक्त विषय व संदर्भ के अन्तर्गत
मांगी गई सूचना प्रेषित की जा रही है जो कि शून्य है।

2- दिनांक 2-12-2014 सूचना दी गई है। उसके साथ पुस्तके
भी थी।

3- आप के कार्यालय का कोई E-filing का और E-mail
का कोई नम्बर भी उपलब्ध नहीं है जिस पर सूचना
भेजी जाय। अतः सूचना शून्य (NIL) है।

संलग्न :- 1+1=2 सहस्यपत्रवाद

आपका शपथपत्र
[Signature]

(आर० एन० प्रियदर्शी सुमन)
राष्ट्रीय अध्यक्ष
राष्ट्रीय जनमत पार्टी
(पंजी० नं० 56/134/2009/PPS-1)

राष्ट्रीय जनमत पार्टी



भगवान गौतम बुद्ध
(ब्रम्हालीन)

संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष :
आर.एन. प्रियदर्शी 'सुमन'
एडवोकेट

इलाहाबाद हाईकोर्ट/सुप्रीमकोर्ट
एम.ए. (इतिहास, दर्शन, हिन्दी) पत्रकार
साहित्यकार, आई.सी.पी.एस., एल.एल.एम.
मोबाइल नं० 9839433889

दिल्ली-भारत



मुख्य कार्यालय ग्राम - फतूह
पो. हनुमान
जिला - इलाहाबाद
पत्रांक 46
दिनांक 26 दिसम्बर

To, The Secretary (Shri S.K. Rudala)

E.C.I, Govt. of India, Nirvachan Sadan, Ashok Road
New Delhi 110001

Sub:- Additional facility for E-filing of statement of expenditure by political party with election Commission of India Regarding:-

Ref:- Letter No. 485/Comp/E-filing/2014/EE P.S. dated 20 and 28 Oct 2014.

Dear Sir,

with due cooperation, regarding above subject reference, the letter received on dated 19-12-2014 acknowledged herewith. The required Report by E.C.I is submitted as under:-

1- (A) Guide lines before E-filing: - noted for future.

(B) (i) & (ii) is Nil but noted for future.

All the workers and executive office bearers have become helpless due to not given the Symbol, by E.C.I, to the Party. And none is ready to work without Symbol and also Party is suffering till to date, which are very loss Party and this has been infringed the fundamental etc. no Candidates has filled the nomination form till last date.

2 - That under Sec. 77 of R.P. Act, 1951, The required Report by E.C.I, PART-A, PART-B, and PART-C submitted is "Because due to non-available of Symbol, non Candidate of the Rashtriya Janmat Party has submitted nomination form in this Lok Sabha election of 2014. The Report is Nil."

PTO

राष्ट्रीय जनमत पार्टी

दिल्ली-भारत



। बुद्ध

एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष :
प्रियदर्शी 'सुमन'

एडवोकेट

ईकोर्ट / सुप्रीमकोर्ट

(स. दर्शन, हिन्दी) फ़ारमकार
आई.सी.पी.एस., एन.एन.एम.
9839433889ग्राम - फ़ूहा
मुख्य कार्यालय - पो - हनुमान गंज
जिला - इलाहाबाद
45 पैतलिया
पत्रांक - 02-12-2014.
दिनांकमाननीय संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी
(श्री रमेश चन्द्र राय)

। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश

ल विकास भवन, जनपथ मार्केट लखनऊ 226001

पार्टी फंड एवं निर्वाचन व्यय से सम्बन्धित पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में दिशा निर्देश:-

आपके पत्र सं0 2583/सी0 ई0 ओ0- 2-10/2-2013 दिनांक 28 अक्टूबर 2014 तथा भारत निर्वाचन आयोग
सं0 76/पी पी ई एम एस/ट्रान्सपरेन्सी/2014 दिनांक 14/10/2014सविनय पूर्वक उपरोक्त विषय एवं संदर्भ के अन्तर्गत मांगी गई राजनैतिक दलो का निर्वाचन व्यय/खर्च
धित सूचना "शून्य" प्रेषित की जाती है।। कि, हमारी पार्टी/दल, राष्ट्रीय जनमत पार्टी, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पंजीकृत अन रिकग्नाइज
टी है।। कि, शून्यता का कारण, नामांकन के अन्तिम दिनांक 19 अप्रैल 2014 तक "चुनाव चिन्ह" राष्ट्रीय
नमत पार्टी को आवंटन नहीं किया गया। जिसके कारण 32 सभी प्रत्याशियों में असंतोष छाया रहा
र स्वयं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था।। कि, मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, स्वयं चुनाव का नामांकन पत्र फूलपुर 51 से संसदीय क्षेत्र इलाहाबाद
भरा हुआ उक्त नामांकन पत्र 19/04/2014 को जमा नहीं कर सका, चुनाव चिन्ह के न मिलने के
रण।। कि, अभी तक चुनाव चिन्ह न मिलने के कारण पार्टी का खाता भी नहीं खोला जा सका और न
टी के खाते में कोई फंड न जमा हो सका। कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों का तर्कपूर्ण विचार है कि
नाव चिन्ह न मिलने से पार्टी के प्रचार-प्रसार में कठिनाई आ रही है और मतदाताओं में प्रभाव-प्रचार
ई हो पा रहा है। चुनाव चिन्ह मिलने पर ही खाता खुलेगा और पार्टी फंड की व्यवस्था की जायेगी।
कम से रु0 20,000/- तक ही रहेगा।

सहृदय धन्यवाद

पार्टी पंजीकृत होने पर "राष्ट्रीय जनमत पार्टी" का लोक सभा चुनाव घोषित होने के पूर्व बहुतायत
रूप से प्रचार-प्रसार पर्चा के माध्यम से काफी अधिक रूप से जनता के बीच में हुआ और इस नई
पार्टी की तरफ लोगो का झुकाव अधिक अच्छा रहा है।

धिय

अध्यक्ष
हादुर सिंह

यक्ष

कोषाध्यक्ष

। राष्ट्रीय जनमत पार्टी

राष्ट्रीय जनमत पार्टी

आप का भवदीय

अध्यक्ष

राष्ट्रीय अध्यक्ष

राष्ट्रीय जनमत पार्टी

(आर0 एन0 प्रियदर्शी सुमन)

राष्ट्रीय अध्यक्ष

राष्ट्रीय जनमत पार्टी